– तृतीय अध्याय –

3– प्राचीन भारत में पुलिस व उत्तराखण्ड–

3.1– प्राचीन भारत में पुलिस का स्वरूप।

3.2– प्राचीन भारत में पुलिस की भूमिका।

3.3– प्राचीन भारत में पुलिस का कार्यक्षेत्र।

3.4– प्राचीन भारत में पुलिस की आवश्यकता।

3.5– प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका–

3.5.1– प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति।

3.5.2– प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड की राजनीति स्थिति तथा पुलिस की भूमिका।

3.5.3– प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव।

3.5.4–प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता।

Estelar

तृतीय अध्याय

3. प्राचीन भारत में पुलिस व उत्तराखण्ड :–

प्रस्तुत शोध के तृतीय अध्याय में शोधार्थी द्वारा प्राचीन भारत में पुलिस के स्वरूप, भूमिका, कार्यक्षेत्र एवम् आवश्यकता को स्पष्ट किया है। इस अध्याय में शोधार्थी द्वारा प्राचीन भारत में पुलिस के स्वरूप को उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में भी वर्णित करने का प्रयास भी किया है जिसमें शोधार्थी द्वारा उत्तराखण्ड में निहित राजवंशों तथा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तथा नियंत्रण का स्वरूप किस प्रकार से पुलिसिया आधार का रहा है उसको भी उल्लेखित करने का कार्य किया है। इतिहास का स्वरूप उसके सभी स्तरों पर होता है। अतः शोध की वर्तमान प्रासंगिकता में उसके प्राचीन इतिहास का समावेश होना अत्यधिक अनिवार्य होता है। जिसको शोध के प्रत्येक भाग से जुड़ना भी महत्वपूर्ण माना गया है। शोध की दिशा का निर्धारण भी इसी बिन्दु पर आधारित होने के कारण प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्वरूप में निहित प्रशासनिक संगठन में पुलिस की भूमिका का प्राप्त होना तथा उसे वर्णित करना शोध के लिए अनिवार्य माना जाता है। शोध का शीर्षक उत्तराखण्ड पर आधारित होने के कारण उसमें उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन भी अनिवार्य माना जा रहा है। शोध की दिशा व लक्ष्य स्पष्ट व निर्धारित होना चाहिए इसलिए कहा गया है कि ***"जो कार्य लक्ष्य को सम्मुख रखकर किया जाता है वह सार्थक होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा ही व्यक्ति को उस तक पहुंचाने के लिए पग–पग पर प्रेरित करती रहती है।"***[4]

इस प्रकार इस शोध के लिए प्राचीन इतिहास की प्रशासनिक व्यवस्था में निहित पुलिस के स्वरूप तथा उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था में निहित पुलिसिया व्यवहार तथा स्थिति का वर्णन इस शोध का प्रारम्भ तथा दिशा का भी मूल आधार है।

3.1 प्राचीन भारत में पुलिस का स्वरूप :–

शोध के विषय पर कार्य करते समय प्राचीन भारत के इतिहास में स्पष्ट रूप से पुलिसिया स्वरूप तो नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक व मध्यकाल एवम् उत्तर प्राचीन काल में पुलिस की भूमिका का आधारित प्राप्त हुये हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम ऋग्वैदिक कालीन समाज में केन्द्रीय तथा खण्डीय प्रशासन

Estelar

व्यवस्था का स्वरूप दिखायी देता है इस काल में अधिकांश समाज में सम्पन्न वर्ग के लोग ही अधिक रहते थे उनमें राजा भी प्रजा के समान ही होता था इसीलिए कहा गया है कि ***"यो वः सेनानीर्महतो गणस्य राजा वातास्य प्रथमो वभूव।"***[2]

ऋग्वैदिक काल में शासन की व्यवस्था का वर्णन तो है परन्तु समाज की व्यवस्था नैतिक मूल्यों पर आधारित होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक कठोर बनाने की आवश्यकता नहीं रही है। यह प्रशासनिक व्यवस्थाओं का स्वरूप उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गया था। इस समय प्रशासन का मूलतः राजा द्वारा ही संचालित किया जाता था राजा द्वारा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न रत्नियों का चयन करना होता था उन रत्नियों का स्तर भी राजा द्वारा स्वयं ही निर्धारित किया जाता था। इस समय गॉवो की देखरेख करने हेतु "ग्रामणी" का चयन किया जाता था जो भी राजा के उच्च रत्नियों में स्थान रखता था। इस काल के अन्त तक स्थापति तथा शतपति नामक दो प्रान्तीय पदाधिकारियों के नाम स्पष्ट हुए हैं इसमें स्थापति सीमान्त प्रान्त का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी होता था एवम् शतपति सौ गॉवो का मुखिया या प्रधान माना जाता था। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से शासन व्यवस्था के अन्तर्गत सभा व समिति का नाम उल्लेखित हुआ है। इस सन्दर्भ में मत स्पष्ट हुआ है कि ***"समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा उसकी स्थायी समिति होती थी।"***[3]

इसमें सभा व समिति दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है तथा दोनों की भूमिकायें भी स्पष्ट होती हैं। सभा को ग्राम की संस्था तथा समिति को एक केन्द्रीय संस्था के रूप में माना जाता था इस सन्दर्भ में अन्य मत उल्लेखित हुआ है कि ***"सभा प्रायः ग्राम संस्था थी और उसमें सामाजिक व राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था।"***[4]

सभा का कार्य या स्वरूप सामाजिक व राजनैतिक दोनों ही आधार पर स्पष्ट हुआ है सभा के द्वारा दोनों प्रकार के कार्यों का निष्पादन कर उत्तम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करना होता था। प्राचीन भारत में पुलिस का स्वरूप मौर्य काल या युग में अंशतहः स्पष्ट होता है मौर्य शासकों द्वारा उत्तम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया था जिससे प्रशासन का संगठनात्मक स्वरूप भी सुदृढ़ आधार का दिखायी देता है। इसमें शासन का आधार मण्डल, जिला तथा नगर इत्यादि पर आधारित दिखायी देता है। इसमें एक प्रान्त में कई मण्डलों को होना उल्लेखित किया गया है। इसमें "प्रदेष्टा" मण्डल का प्रमुख अधिकारी होता था जिसे आधुनिक कमिश्नर के समान अधिकार थे। मण्डल अनेक

Estelar

जिलों से मिलकर बनता था इसमें ग्राम को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई माना जाता था। ग्राम का मुखिया "ग्रामणी" होता था।

मौर्य साम्राज्य में राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है। इस समय न्याय अन्य स्तरों पर भी प्रदान किया जाता था पर अन्तिम न्याय राजन् का ही होता था। न्याय धर्मस्थीय तथा कष्टक–शोधन दो प्रकार का रहता था जिसे आज के सन्दर्भ में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में कैद, कोडे मारना, अंग–भंग तथा मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में राजा को सर्वोच्च माना जाता था राजा एक प्रकार से प्रजा का प्रतिबिम्ब ही होता था इसलिए यह कहा गया है कि ***"प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे।"***[6]

इस काल में राजा के पास अत्यधिक शक्तियाँ होती थी वह एक धर्मपालक माना गया है। कौटिल्य ने कहा है राजधर्म सामान्य धर्म, व्यवहार एवम् चरित्र से भी ऊपर है। मौर्योत्तर काल में राज्य का स्वरूप मौर्य काल की अपेक्षा अधिक छोटा हो गया था इसमें भी कई राजाओं ने मौर्य शासन को ही अपना आदर्श माना था। सातवाहन युगीन राजाओं में भी राजा ही सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। इस युग में भी "ग्रामिक" को ही ग्राम का प्रधान या अध्यक्ष माना गया है। इसके अधिकार में पॉच से दस ग्राम तक होते थे। नगरों की शासन व्यवस्था "निगम सभा" द्वारा चलायी जाती थी। ग्रामों तथा निगमों को स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गयी थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के राज्य में भी "दण्डनायक" व "महादण्डनायक" जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ये राज्य में सैनिक अधिकारियों के रूप में थे। इस काल में भी ग्राम शासन "ग्रामिक" द्वारा ही चलाया जाता था। कनिष्क ने स्थानीय शासन व्यवस्था की तुलना में सैनिक शक्तियों पर अधिक बल दिया होगा उसके प्रशासन का स्वरूप अधिकांशतहः सैन्य व्यवस्था पर आधारित था।

गुप्त काल की शासन व्यवस्थायें गणतन्त्र तथा राजतन्त्र दोनों आधारों पर पायी जाती है। इस काल में विकेन्द्रीकर्त शासन पद्धति का उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय राजकार्य में मंत्री व अमात्य सहायता प्रदान करते थे। मंत्री राजकीय मंत्रणा में प्रतिभाग करते थे तथा आमात्य सम्पूर्ण शासन तन्त्र को देखते थे जो ब्राहमण वर्ग से होते थे। समुद्रगुप्त के काल में शासन व्यवस्था का आधार उत्तम कोटि का था। इसमें सान्धिविग्रहिक नामक अधिकारी सन्धि व युद्ध का मंत्री माना जाता है। द्वितीय खाद्यटपाकिक अधिकारी

Estelar

राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था तृतीय कुमारामात्य जो उच्च श्रेणी का अधिकारी होता है। जो पुलिस विभाग का भी प्रधान अधिकारी माना जाता था जिसकी न्यायव्यवस्था में सहयोग की भूमिका भी होती थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में इसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तित किया गया दण्डपाशिक एक पुलिस अधिकारी था जो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी माना गया है। यहाँ महादण्डनायक मुख्यतह प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता था।

गुप्त काल में स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग का वर्णन प्राप्त हुआ है जिसमें दण्डपाशिक को पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी माना गया है। गुप्त काल के उपरान्त हर्ष का शासन आया जिसमें हर्ष द्वारा लम्बे समय तक शासन किया जो लोकतन्त्र पर आधारित रहा। इसके शासन में प्रान्तीय शासन के लिये "लोकपाल" शब्द को प्रयुक्त किया गया। इसमें प्रान्त को भुक्ति भी कहा गया। इसमें ग्राम शासन का मुखिया 'ग्रामाक्षपटलिक' को कहा गया है। इस शासन काल में अपराधों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया था। हर्ष द्वारा देश में आन्तरिक शान्ति तथा शासन व्यवस्था हेतु स्पष्ट रूप से पृथक पुलिस विभाग की स्थापना की गयी है। पुलिस कर्मियों को "चाट" या "भाट" कहा जाता था। दण्डपाशिक तथा दाण्डिक पुलिस विभाग का अधिकारी माना जाता था।

चालुक्य कालीन शासन में भी ग्राम शासन ही सबसे छोटी इकाई होती थी। इसमें ग्राम अधिकारी को 'गामुड' कहा जाता था इसकी नियुक्ति केन्द्रिय आधार पर ही की जाती थी। राष्ट्रकूटों का अध्ययन करने के पश्चात ज्ञात होता है कि ये साम्राज्यवादी थे। इसमें सेना का मुखिया पदाति होता था। राष्ट्रकूटों द्वारा प्रजा का भौतिक तथा नैतिक उत्थान दोनों ही किया गया है। संगम युगीन शासन व्यवस्था में भी राजा देश का प्रधान या मुख्य न्यायाधीश होता है। राजा के न्याय को मन्रम् कहा जाता है। इसमें कठोर दण्ड का प्रावधान था तथा मृत्युदण्ड तक दिया जाता था। इस समय शासन की व्यवस्था कठोर तथा क्रूर आधार की थी। पल्लव वंश में साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में बटाँ हुआ था। प्रान्त की संज्ञा राष्ट्र व मण्डल के रूप में होती थी जिसका प्रधान अधिकारी राष्ट्रिक कहलाता था।

पल्लव काल में भी ग्रामों का संगठन ग्रामसभा तथा समिति के रूप में किया जाता था जिनका प्रमुख "ग्रामकेय" तथा "मुटक" होता था। सभी राजकीय आदेश इनको ही सम्बोधित करके भेजे जाते थे।

Estelar

चोल साम्राज्य भी प्रान्तों में विभाजित था। प्रान्तों को 'मण्डलम्' कहा जाता था जिसका शासन वायसराय के पास होता था इस पद पर राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। इनके पास अपनी सेना तथा न्याय विभाग होता था। मण्डलम् का विभाजन अनेक प्रकार के कोट्टयम् तथा बलनाडु में हुआ करता था प्रत्येक कोट्टयम् में कई जिले होते थे जो "नाडु" के नाम से जाने जाते थे। इस साम्राज्य में ग्राम शासन भी था। ग्राम शासन की दो इकाईयाँ "उर" तथा सभा या महासभा होती थी।

इस प्रकार प्राचीन भारत में पुलिस के स्वरूप के अध्ययन करने से ज्ञात होता है स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग का गठन गुप्त वंश में उल्लेखित हुआ है। लेकिन पुलिस का स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से वैदिक काल से ही दिखायी दिया गया है। आज नगर व ग्राम व्यवस्था में ग्रामीण पुलिस तथा नगरीय पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सभालती है उस समय भी अधिकांश राजवंशों में शासन के सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा पर ही आधारित रही हुई है। इसलिए प्राचीन काल से ही पुलिस का कार्य तथा योगदान प्रारम्भ हो चुका है।

3.2 प्राचीन भारत में पुलिस की भूमिका :–

प्रस्तुत शोध में प्राचीन भारत की पुलिस के स्वरूप के उपरान्त उसकी भूमिका का अध्ययन करना आवश्यक होता है। पुलिस की भूमिका भी स्वरूप पर ही आधारित होती है। ऋग्वेद काल से ही न्याय व्यवस्था मुख्य रूप से प्रदेश या प्रान्त के प्रमुख राजा पर ही आधारित रही है। इस काल में राजा पुरोहित के माध्यम से दण्ड का निर्धारण करता था। इस काल में कठोर दण्ड का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य में दण्ड देने वाले सूत्र भी अत्यधिक जटिल नहीं प्रदर्शित होते थे। यजुर्वेद काल में राज्य के उच्च पदाधिकारी 'रत्नी' होते थे। इन रत्नियों में राजा के सम्बन्धी मंत्री, विभागाध्यक्ष तथा दरबारीगण होते थे। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सत, ग्रामणी, संग्रहिता तथा भागधुक होते थे इनकी प्रशासन के कार्यों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। स्थापति तथा शतपति नामक अधिकारी रत्नियों से पृथक लेकिन उनकी भूमिका सीमान्त प्रदेश का प्रशासन अथवा न्याय व्यवस्था को देखना था।

मौर्यकालीन शासन व्यवस्था सुदृढ़ शासन व्यवस्था रही है। मौर्य शासन का वर्णन कौटिल्य तथा मेगस्थनीज द्वारा किया गया है इस काल में सम्राट को सैनिक, न्यायिक, वैधानिक तथा कार्यकारी सभी का संचालक माना जाता था। सम्राट को इस युग में इतना

Estelar

श्रेष्ठ माना गया था कि वह धर्म प्रर्वतक व धर्म का रक्षक माना गया था। इस सन्दर्भ में भण्डारकर ने कहा है कि *"स्वामी अर्थात् राजा राज्य रूपी शरीर की आत्मा है।"*[6]

सम्राट इस युग में अपना कार्य आमात्य, मन्त्री तथा मन्त्रीगणों द्वारा पूर्ण कराता था। आमात्य को राज्य के सभी पदाधिकारियों का ज्ञान रहता था। आमात्य सभी कार्यों में सम्राट की सहायता करता था। मौर्य वंश के समय केन्द्रिय व प्रान्तीय दो प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त हुआ है। केन्द्रिय प्रशासन मुख्यतह अठ्ठारह वर्गों में विभाजित था। इन अठठ्ारह तीर्थों का पृथक–पृथक कार्य था लेकिन आन्तवैशिंक मुख्य रूप से राजा के अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था।

प्रान्तीय शासन व्यवस्था कई मण्डलों पर आधारित थी। जिनकी समानता आधुनिक कमिश्नरियों पर आधारित थी। मण्डल का प्रमुख 'प्रदेष्टा' नामक अधिकारी होता था। मण्डल को अनेक जिलों के रूप में विभाजित किया जाता था। जिलों के अन्तर्गत ग्राम व्यवस्था का संचालन किया जाना प्राप्त हुआ है।

मौर्य काल में एकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थी लेकिन दिवानी व फौजदारी मामलों के लिये पृथक न्यायाधिकारी थे। जो दण्ड देते थे जिनको व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाने का कार्य स्थानीय अधिकारियों का होता था जो वर्तमान में पुलिस के रूप में कार्य करते थे वे दण्डन अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। इस समय जेल की व्यवस्था थी जिसमें कैदी रहते थे। वर्तमान में भी पुलिस द्वारा जेल की व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

कनिष्क एक निरंकुश शासक था उसने शासन की अनेक क्षत्रपतियों में बाँटा था जिनका प्रमुख "क्षत्रप" होता था। प्रशासन की व्यवस्था क्षत्रय के माध्यम से ही की जाती थी। इस काल में राज्य में "विषय" तथा "भुक्ति" नामक प्रशासनिक इकाईयाँ भी होती थी। इस काल में "दण्डनायक" व "महादण्डनायक" नामक पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। ये सम्भवतहः सैनिक अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। ग्राम व्यवस्था का स्वरूप ग्रामिक अधिकारी के रूप में स्पष्ट होती थी जो ग्रामस्तर पर शासन व प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करता था कनिष्क का शासनकाल मूल रूप से सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर अधिक केन्द्रित था।

पुलिस शब्द का सर्वप्रथम वर्णन व कार्य विभाजन की भूमिका गुप्तकाल में स्पष्ट हुई है। इस काल में पुलिस की भूमिका को प्रशासनिक आधार पर देखा गया है। गुप्तकाल का

Estelar

प्रशासनिक आधार शासक पर आधारित राजतन्त्र व्यवस्था का प्रतिरूप था। इसमें "महाराजाधिराज" जैसी उपाधियों का प्रचलन था इस काल में भी प्रशासन "आमात्य" व "मंत्रियों" पर आधारित था। आमात्य प्रशासनिक अधिकारी था इस काल में केन्द्रिय व्यवस्था का भी वर्णन प्राप्त हुआ है। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का प्राचीनतम् स्वर्ण काल है। जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थायें भी उत्तम आधार की रही हैं। इसमें केन्द्रिय अधिकारियों के रूप में प्रतिहार एवम् महाप्रतिहार थे जो राजकीय दरबार के प्रमुख पदाधिकारी थे तथा महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सैन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता था। इस काल में युद्ध व शान्ति का भी एक पदाधिकारी "महासन्धिविग्रहिय" होता था। इस काल में आन्तरिक प्रशासन के लिए पृथक पुलिस विभाग का गठन किया गया था जो आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उत्तम बनाने का कार्य करता था इस विभाग का मुखिया "दण्डपाशिक" होता था जो आज कल पुलिस अधीक्षक के समान स्तर का अधिकारी होता था जो पुलिस की भूमिका का सफल आधार पर संचालन कराने का कार्य करता था।

गुप्त काल में धर्म सम्बन्धी मामलों का प्रधान अधिकारी को विनयस्थितिस्थापक कहा जाता है। इसकी भूमिका धार्मिक क्षेत्रों की रक्षा तथा आचरण के मानदण्डों पर कार्य करना रहा है। इस काल में यह उच्च पदाधिकारियों के संघ को कुमारामात्य कहा गया है यह संघ वर्तमान में आई0ए0एस0 अधिकारियों के संघ के समान ही माना जाता रहा है। कुमारामात्य की भूमिका केन्द्र व राज्य के मध्य मूल रूप से मध्यस्थता करना था। प्रयाग में एक टीले से प्राप्त मुद्रा में लेख उत्कीर्ण मिला है ***"मूलकुमारामात्याधिकरणस्य"***

गुप्त काल में साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभाजित था। प्रान्तों को देश तथा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति शासक को मूल रूप से उपरिक कहा जाता था। सीमान्त प्रदेशों के शासकों की गोप्ता कहा जाता था भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में किया गया इन जिलों को विषय भी कहा जाता था। जिसका प्रधान 'विषयपति' होता था। इस काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी।

हर्ष के समय प्रशासन व शासन व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ वह व्यवस्था राजतन्त्रतात्मक रूप में परिवर्तित होने लगी। यह विशाल साम्राज्य कई प्रान्तों में विभाजित होने लगा इस समय प्रान्त का शासक मूल रूप से लोकपाल होता था। प्रान्त को गुप्त काल के समान ही भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा

Estelar

राष्ट्रीक कहलाता था। इस काल में भी भुक्ति को जिलों में बाँटा जाता था जिसका प्रमुख विषयपति होता था। विषय के अन्तर्गत अनेक पाठकों को समाहित किया जाता था जो वर्तमान की तहसील के समान है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई जिसका मुख्य "ग्रामाक्षपटलिक" होता था। उसकी सहायता के लिए अनेकों करणीयों की नियुक्ति की जाती थी। इस काल में ग्राम्य पुलिस के रूप में ग्रामाक्षपटलिक तथा करणीयों को कार्य करना पड़ता था। हर्ष का काल उत्तम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का काल माना जाता था हर्ष स्वयं भी ग्रामाक्षपटलिक तथा करणियों से अप्रत्यक्ष रूप से मिलकर आन्तरिक शान्ति तथा प्रशासन व्यवस्था का निर्धारण करता था। वह सबसे सूक्ष्म स्तर पर सुधार करना चाहता था। इसलिए उस काल में उसने लोकपाल जैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उत्तम प्रशासनिक मानदण्डों का निर्धारण किया।

राजपूत युगीन संस्कृति व शासन व्यवस्था में पूर्ण सामन्तवादी स्वरूप दिखायी देने लगा था। राजपूतों का सम्पूर्ण शासन छोटी–छोटी जागीरों के रूप में बट गया था इस समय राजा के कुल से ही सामन्त महाराज, महासामन्त, महासामन्ताधिपति, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, महामाण्डलिक आदि उपाधियाँ दी गयी थी। सामन्तों के पास अपनी सेना होती थी वह आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता हेतु राज्य के पास भेजते थे। प्रशासन का स्वरूप ग्राम स्तर पर भी था। ग्राम पंचायतें कर एकत्र करते थे जिसे केन्द्र तक पहुँचाया जाता था। ग्राम स्तर पर प्रशाासन ग्रामीण पुलिस द्वारा निर्धारित किया जाता था उसकी अन्तिम संचालन सामन्तों के द्वारा किया जाता था।

पल्लव शासन में भी आमात्य शब्द की चर्चा प्राप्त होती है। पल्लव शासन में सेनापति, राष्ट्रिक, देशाधिकृत तथा ग्रामभोजक तथा आमात्य आदि पदों की चर्चा स्पष्ट होती है। विशाल पल्लव साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभाजित हुआ। प्रान्त का प्रमुख राष्ट्रिक होता था ग्रामों का प्रशासन ग्रामकेय तथा मुटक द्वारा किया जाता था। ग्रामकेय ग्रामीण पुलिस प्रशासन का कार्य भी करता था इस पुलिस प्रशासन को सम्बोधित निर्धारित आदेशों को मन्दरम् द्वारा सामोहिक स्थान पर सुनाया जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में चोल शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चोल राजाओं ने विशाल संगठित सेना का निर्माण किया, इनकी शासन प्रणाली को भी उत्कृष्ट शासन प्रणाली माना गया है। इसमें केन्द्रिय तथा स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थायें रही हैं। इस सन्दर्भ में इतिहासकार नीलकण्ठ ने कहा है कि

Estelar

"एक योग्य नौकरशाही तथा सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के बीच जो विविध प्रकार के नागरिकता की भावना का पोषण करती थी, शासन–निपुणता तथा युद्धता का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था, जो सम्भवतः किसी हिन्दू राज्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्तर था।"[8]

इस प्रकार चोल शासकों द्वारा भी प्रशासन के स्थानीय स्तर पर आन्तरिक सुरक्षा हेतु प्रशासन में पुलिस की भूमिका को अपने आधार पर अन्य रूप से स्थापित करने का कार्य किया।

3.3 प्राचीन भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र :–

प्राचीन भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र का वर्णन करने के लिए प्राचीन इतिहास की शासन–प्रणालियों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नियों का नाम दिया गया है। रत्नियों का प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, रत्नियों के अतिरिक्त प्रान्तिय अधिकारी भी प्रशासन की व्यवस्था को देखने का कार्य करते थे। अथर्ववेद में सभा व समिति की चर्चा रही है। उस समय इसे राजा की दो पुत्रियों के रूप में माना जाता था। सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन माना जाता था। समिति एक प्रकार से केन्द्रिय शासन का भाग था। समिति के निर्णय या समर्थन के आधार पर ही राजा का भविष्य निर्धारित करता था। सभा व समिति के समान विदथ नामक संस्था का और उल्लेख प्राप्त हुआ है। कुछ का मत विदथ के लिए विद्धानों का परिषद के रूप में रहा है। जहाँ पर धार्मिक व दार्शनिक तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाता है। इस सन्दर्भ में आर0एस0 शर्मा ने कहा है कि ***"इसमें स्त्री–पुरूष दोनों भाग लेते थे तथा यह सभी प्रकार के कार्यों–आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि को सम्पन्न करती थी"***[9]

प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य में राजा के पास सम्पूर्ण शक्तियाँ होती थी राजा को धर्म व न्याय का प्रतिक माना जाता था। उसके द्वारा निर्धारित शासन व प्रशासन का स्वरूप सबको मान्य होता था। सम्राट को आमात्य, मंत्रियों एवं मंत्रिगणों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त होता था। आमात्य अत्यधिक प्रभावशाली होता था सम्पूर्ण शासन प्रणाली व प्रक्रिया में उसका हस्तक्षेप रहता था। इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"आमात्यों में से जो सभी प्रकार के आकर्षणों से परे हुआ करते थे, मन्त्री नियुक्त करता था।"***[10]

इन मन्त्रियों की सम्भवतहः सभी विषयों पर राय लेकर ही कार्य का निष्पादन किया जाता था। यह निर्णय मन्त्रीपरिषद् के द्वारा ही किया जाता था। अर्थशास्त्र में इसको वैधानिक रूप से आवश्यक भी माना गया है। इस काल में निर्णय सम्राट स्वयं ही नहीं लेते

Estelar

थे अपितु सामोहिक रूप से मंत्रणा के पश्चात ही निर्णय पर पहुंचा जाता था। मन्त्रिपरिषद् का कार्य अनारब्ध कार्यों को प्रारम्भ करना, आरम्भ हुए कार्य को पूर्ण करना एवम् पूर्ण कार्यों को सुधार करना व राजकीय आदेशों का कठोरता से पालन कराने का भी महत्वपूर्ण व अनिवार्य कर्तव्य होता था। इस सन्दर्भ में उल्लेख है कि ***"राजत्व केवल सबकी सहायता से ही सम्भव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकता है। अतः राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनकी मन्त्रणा लेनी चाहिए"***[41]

मौर्य काल में दो प्रकार की शासन व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है। प्रथमतहः केन्द्रीय तथा द्वितीय प्रान्तीय प्रशासन व्यवस्था थी। केन्द्रिय प्रशासन में अठ्ठारह तीर्थों का वर्णन प्राप्त होता है तथा इन तीर्थों में से मन्त्री व पुरोहित महत्वपूर्ण भाग या तीर्थ या जिसे कौटिल्य ने अपने पास रखा हुआ था। इनमें सभी तीर्थों के अपने–अपने प्रभाग का कार्य करना सुनिश्चित होता था। 'प्रदेष्टा' का कार्य फौजदारी न्यायालय में न्याय का कार्य था एवम् 'व्यावहारिक' दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इस काल में यदि फौजदारी व दिवानी मामलों के न्यायाधीश थे तथा वादों के स्थान पर इन वादों का निर्धारण स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता होगा जो वास्तविक रूप से वर्तमान पुलिस के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन आवश्यक रूप से करते थे।

मौर्य काल में शासन की व्यवस्था मुख्य रूप से प्रान्तीय आधार पर भी स्पष्ट थी उस समय मण्डल, जिलों तथा नगर प्रशासन का आधार दिखायी दे रहा था। मण्डल प्रधान 'प्रदेष्टा' नामक अधिकारी के रूप में होता था 'प्रदेष्टा' मण्डल के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था। मण्डल भी विभिन्न जिलों से बना होता था यहाँ पर मण्डल को 'प्रादेशिक' तथा जिले को 'आहार' के रूप में जाना जाता था 'आहार' का अतिरिक्त नाम 'विषय' भी था। आहार के नीचे स्थानीय तथा प्रत्येक स्थानीय में दो द्रोणमुख एवम् द्रोणमुख के अन्तर्गत खार्वटिक तथा खार्वटिक से नीचे संग्रहण होते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप होता था गोप ही एक प्रकार से शान्ति व्यवस्था बनाने का कार्य करता था। वर्तमान पुलिस के रूप में ही उस समय गोप अपना कार्य करता था। सभी पदाधिकारी या अधिकारी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते थे तथा अपने ऊपरी अधिकारी प्रति उनकी सम्पूर्ण जवाबदेही भी सुनिश्चित होती थी लेकिन आमात्य का सम्बन्ध सीधे मण्डल प्रमुख प्रदेष्टा से होता था यदि कोई भी अव्यवस्था का भाव प्रान्त में होता था तो आमात्य का प्रश्न स्वतः ही प्रदेष्टा

Estelar

के लिये ही उठता था। प्रान्त की सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मण्डल प्रमुख 'प्रदेष्टा' का ही होता था।

ग्राम प्रशासन के रूप में ग्राम अध्यक्ष 'ग्रामणी' को उत्तरदायित्व दिया जाता था। जो वेतनभोगी नहीं था लेकिन निर्वाचित सदस्य होने के कारण कार्यो की देखरेख करना उसका स्वतन्त्र कर्तव्य था। सामान्यतहः ग्राम सभा का कार्य गोप नामक राजकीय व्यक्ति करता था। गोप एक प्रकार से सभी राजकीय कार्यों का सम्पादन ग्राम स्तर पर राजकीय आधार पर करता था। इस काल में गुप्तचर विभाग गोपनीय रूप से प्रान्त की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते थे लेकिन शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा अपराधों में रोकथाम हेतु पुलिस की भी व्यवस्था थी जिसे 'रक्षिन्' कहा जाता था। वह गोप के साथ मन्त्रणा कर ग्राम स्तर पर अपराधों की रोकथाम तथा शान्ति व्यवस्था बनाने का कार्य करते थे। रक्षिन् का कार्य सम्पूर्ण प्रान्त की शान्ति व्यवस्था को स्थापित करना था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ***"शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन सब प्रकार के राजाओं एवम् अठठारह तीर्थों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिये गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए।"***[12]

मौर्य शासन काल में गुप्तचरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है लेकिन गुप्तचर अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों के संचालन का निरीक्षण करते थे लेकिन आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा अपराधों पर नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से 'रक्षिन्' अथवा पुलिस विभाग द्वारा किया जाता था। सातवाहन युगीन संस्कृति में भी राजन् को ही प्रमुख माना गया है। इस काल में स्त्रियों द्वारा भी प्रशासन की व्यवस्था को संचालित किया गया है। इस युग में भी सम्राट का प्रमुख अधिकारी व विश्वासपात्र आमात्य ही माना गया है। प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु अनेक प्रकार के विभागों को खोला गया जिनको आहार कहा जाता था प्रत्येक आहार का शासन आमात्य के अन्तर्गत रहते थे। शासन की देखरेख भाण्डागारिक, रज्जुक, पनियधरक, कर्मान्तिक एवम् सेनापति आदि द्वारा किया जाता था। आहार के नीचे अनेक ग्राम होते थे ग्राम के अध्यक्ष को "ग्रामिक" कहा जाता था। इस समय भी आन्तरिक प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गयी थी। जो आन्तरिक शान्ति के निर्माण का कार्य भी करती थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा भी अपने शासन व्यवस्था के लिए "दण्डनायक" व "महादण्डनायक" नामक अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। जो सेना का संचालन करते थे इसके शासन में आन्तरिक शान्ति व्यवस्था का उतना अधिक वर्णन नहीं है लेकिन उत्तम सैन्य व्यवस्था का आधार इस काल

Estelar

में रहा है। उत्तम सैन्य व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से इसी व्यवस्था को आन्तरिक प्रशासन से भी निश्चित रूप में जोड़ा गया होगा।

प्राचीन भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र का वर्णन करने पर गुप्त वंश के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से आन्तरिक शान्ति तथा अपराधों पर रोकथाम के लिए पृथक विभाग तथा उस विभाग के अधिकारी का स्वरूप एवं उसके कर्तव्यों एवम् कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन प्राप्त हुआ है। इस काल में राजा या सम्राट को भगवान के स्वरूप तथा प्रतिरूप के रूप में माना गया है। उसे ईश्वरीय कृति या देवी उत्पत्ति भी माना गया है। इस कारण सम्राट को महाराजाधिराज, परमभट्टारक, एकराट् तथा परमेश्वर नामक उपाधियों से सम्बोधित किया जाता रहा है इसलिए कहा गया है कि ***"समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है जो वहीं तक मनुष्य था जहाँ तक लौकिक क्रियाओं को सम्पन्न करता था।"***[43]

इस काल में भी राजा आमात्य, मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से राज्य का कार्य करता था। गुप्त काल में विभिन्न विभाग भिन्न–भिन्न अधिकारियों के पास होते थे। इस काल में भी केन्द्रिय प्रशासन तथा प्रान्तीय प्रशासन दोनों प्रकार के प्रशासनों का स्वरूप मिलता है। इस काल में केन्द्रिय शासन के अन्तर्गत प्रतिहार व महाप्रतिहार प्रमुख पदाधिकारी था जो प्रशासन का कार्य नहीं करता था प्रतिहार अन्तःपुर का तथा महाप्रतिहार राजमहल का रक्षक था इसका कार्य राजा से मिलने वालों को अनुमति पत्र भी देना था इनकी अनुमति के बिना राजा व सम्राट से मिलना असम्भव था। महासेनापति, सेना का प्रमुख अधिकारी था। इस काल में युद्ध व शान्ति के लिए पृथक मंत्री महासन्धि विग्रहिक था। धर्म की रक्षा करने के लिए विनयस्थितिस्थापक नामक प्रधान अधिकारी था जो मन्दिरों की रक्षा, देखरेख करता था उसका कर्तव्य उत्तम आचरण राज्य नागरिकों से होना या उनके द्वारा करना सुनिश्चित करने का कार्य होता था। इस काल में कुमारामात्य भी होता था जो उच्च पदाधिकारियों का समूह था जिसके द्वारा नीतिनिर्माण, निर्माण का कार्य किया जाता था जो प्रान्तीय सेवा के कार्य को करते थे ये केन्द्र व राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में भी कार्य करते थे इनको अति विशिष्ट का दर्जा प्राप्त था। इस काल में स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन के गठन हेतु अलग विभाग का निर्माण किया गया था इस विभाग का प्रमुख अधिकारी 'दण्डपाशिक' था जो आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा अपराधों पर नियन्त्रण का कार्य करता था यह उपयुक्त कार्य प्रणाली का विकास कर समस्त प्रान्त व राष्ट्र में शान्ति को व्यवस्थित करने का कार्य करता था।

Estelar

गुप्त काल में प्रान्तीय व्यवस्था भी उत्तम आधार की थी इस काल में प्रान्त को देश अथवा भुक्ति के नाम से जाना जाता था भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। उपरिक की नियुक्ति स्वयं सम्राट द्वारा की जाती थी। जो स्वयं केवल सम्राट के लिये उत्तरदायी होता था। सीमान्त प्रदेशों के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों के रूप में किया जिलों को विषय कहा जाता था विषय का प्रधान विषयपति होता था विषयपति प्रान्त के अभिलेखों की सुरक्षा करता था उसके लिये कर्मचारी "पुस्तपाल" रखा जाता था। विषयपति द्वारा समिति का गठन कर उसको संचालित किया जाता था तथा राज्य में उत्तम प्रशासन किया जाता था। विषयपति की समिति में लगभग बीस सदस्य "विषय महत्तर" होते थे। नगर का प्रबन्धन पुरपाल के द्वारा चलाया जाता था जिसका दर्जा कुमारामात्य के समान ही होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जिसका प्रशासन ग्रामसभा द्वारा चलाया जाता था। ग्रामसभा के पदाधिकारियों को महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक तथा कुटुम्बिन् कहा जाता है। इनके द्वारा अलग–अलग कार्यों को किया जाता था।

इस प्रकार गुप्त काल में दण्डपाशिक के रूप में पुलिस अधिकारी कार्य करता है जो आन्तरिक शान्ति तथा अपराधों पर नियन्त्रण करता है जो वर्तमान में डायेरेक्टर जनरल पुलिस का समकक्ष अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार मौर्य वंश में भी पृथक पुलिस विभाग का गठन किया गया जिसका मुखिया रक्षिन् माना गया है। जो शान्ति व्यवस्था, नियमों का पालन, कानूनों के अनुसार कर्तव्य वहन एवम् अपराधों पर नियन्त्रण करता है जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक के समकक्ष माना गया है। जिसका कार्य सम्पूर्ण आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति स्थापित करना रहा है। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास में पुलिस की भूमिका व कर्तव्य का स्पष्ट आलेख मौर्य तथा गुप्त काल में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके कर्तव्यों का भी स्पष्ट विवरण प्राप्त हुआ है।

3.4 प्राचीन भारत में पुलिस की आवश्यकता :–

शोध अध्ययन के इस भाग में प्राचीन भारत में पुलिस की आवश्यकता का अध्ययन किया गया है। यजुर्वेद काल में शासन की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए राज्य के उच्च पदाधिकारियों अर्थात् प्रान्त या राज्य के रत्नियों का वर्णन प्राप्त होता है। इस समय राजा के सम्बन्धियों को रत्नियों के रूप में स्थान दिया जाता था पुरोहित का स्थान भी रत्नियों की सूची में समाहित रहता था। इसके अतिरिक्त स्थापति व शतपति नामक अन्य

Estelar

पदाधिकारी का वर्णन प्राप्त होता है जो प्रशासन के कार्य में सहायक की भूमिका का कार्य करते थे। इस समय आन्तरिक सुरक्षा की आवश्यकता अधिक नहीं थी इसलिए पुलिस नामक व्यवस्था की आवश्यकता व स्वरूप पर अधिक बल नहीं दिया गया है।

मौर्य वंश की शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से एकात्मक अर्थात् राजतन्त्रतात्मक आधार की रही है। इस काल में राजा या सम्राट को अपने द्वारा बनाये सिद्वान्तों को दिशा प्रदान करने हेतु उत्तम प्रशासक वर्ग की आवश्यकता थी जो उसे आमात्य, मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् के रूप में सहयोग देते थे। आमात्य सम्राट का अत्यन्त विश्वास पात्र व्यक्ति ही हो सकता था इस समय केन्द्रिय तथा प्रान्तीय दोनों प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता था। केन्द्रिय शासन में अठ्ठारह तीर्थों का वर्णन प्राप्त होता है। जो भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के प्रधान व संचालक के रूप में कार्य करते थे। ये सभी तीर्थ अत्यधिक आवश्यक माने जाते थे। इनमें सभी तीर्थों में से प्रथम तीर्थ मन्त्री तथा पुरोहित समस्त तीर्थ में से अति आवश्यक व महत्वपूर्ण था इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्थाओं संचालन निर्धारित किया जाता था। इस काल में शासकीय तथा व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु भी कई विभाग कार्य करते थे। मौर्य वंश की केन्द्रिय शासन व्यवस्था उत्तम थी उसकी इस उत्तम शासन व्यवस्था के कारण मौर्य काल एक लम्बे समय तक भारतीय इतिहास का भाग बना रहा।

मौर्य वंश की प्रान्तीय शासन व्यवस्था भी उत्कृष्ट आधार की थी विशाल राज्य होने के कारण राज्य का विकेन्द्रिकरण होना भी अत्यधिक आवश्यक था। प्रान्त को मण्डलों में बाँटा गया था जिनका एक उच्च अधिकारी होता था जिनको उस समय प्रदेष्टा कहा जाता था। प्रदेष्टा वर्तमान मण्डलायुक्त के समकक्ष माना जाता था। इसका कार्य अपने मण्डल के सभी अधिकारियों के कार्यों तथा व्यवहारों का निरीक्षण करना माना जाता था।

मौर्य काल के प्रान्तीय प्रशासन के अन्तर्गत मण्डलों को भी जिलों में विभाजित किया गया था जिनको आहार तथा विषय के रूप में जाना जाता था। विषय का शासन करने हेतु जिस अधिकारी की आवश्यकता होती थी उसे विषयपति कहा जाता था जिले के नीचे 'स्थानीय' होता था जिसका प्रधान वर्तमान तहसीलदार के समान होता था स्थानीय के अन्तर्गत दो द्रोणमुख अथवा नगर पालिका या नगर व्यवस्थायें होती थी प्रत्येक द्रोणमुख हेतु बीस संग्रहण होते थे जो कार्यालयी व्यवस्था का उत्तम आधार माने जाते थे। संग्रहणों

Estelar

का सफल कार्य निष्पादन हेतु एक अधिकारी की आवश्यकता होती थी जिसे 'गोप' के नाम से जाना जाता था।

मौर्य काल में उत्तम ग्राम प्रशासन भी दिखायी दिया भारत वर्ष सदैव छोटे–छोटे ग्रामों से बना है जिसकी प्राथमिक इकाई की प्रशासन व्यवस्था की चर्चा सदैव होनी ही चाहिए। जिसकी देखरेख हेतु इस काल में "ग्रामवृद्धपरिषद" का उल्लेख प्राप्त हुआ है तथा जनता द्वारा चयनित व्यक्ति ग्रामणी एक स्वतन्त्र संस्था संचालक के रूप में कार्य करता था जिससे कार्य का संचालन भयवश भी उत्तम आधार का पाया जाता था। मौर्य काल की न्याय व्यवस्था भी दिवानी तथा फौजदारी दोनों ही मामलों के आधार पर उपलब्ध थी। इसमें धर्मस्थीय तथा कंष्टक शोधन नामक न्यायाधीश कार्य करते थे। इस समय कैद से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान रहा है। इस काल में राजकीय कोष का घोटाला करने वालों को भी दण्ड मिलता था इसमें युक्त नामक अधिकारी की भी संलिप्ता प्राप्त हुई है जो धन को चुराता व अपहरण करता था जिसका ज्ञान नहीं हो पाता था इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"जिस प्रकार जल में विचरण करती मछलियों को जल पीते कोई नहीं देख सकता था उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युत्तों को धन का अपहरण करने पर कोई जान नहीं सकता था।"***[14]

इस युग में अपराधी के अपराधों का भी पता चलने पर दण्ड दिया जाता था जिनके लिए जल, अग्नि तथा विष नामक परीक्षाओ रखी गयी थी जिनके माध्यम से अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किया जाता था। इस वंशज का गुप्तचर विभाग अत्यधिक सक्रिय था। इसको पृथक रूप से आमात्य के अधीन रखा गया था जिसे "महामात्यापसर्प" कहा जाता था। यह केन्द्रिय प्रशासन व प्रान्तीय प्रशासन के अतिरिक्त शत्रु, मित्र, उदासीन तथा सक्रिय सभी लोगों व दशाओं की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता था तथा उसे गोपनीय आधार पर आमात्य तक पहुँचा कर राष्ट्र को सुरक्षित करने का कार्य करता था। गुप्तचर द्वारा दी गयी सूचना सत्यता पर आधारित होनी चाहिए यदि इसमें असत्यता पायी गयी तो गुप्तचर दण्ड का पात्र भी होता था।

मौर्य शासन काल में स्पष्ट रूप से आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति को महत्वपूर्ण समझा गया तथा अपराधों को नियन्त्रित करने की आवश्यकता को भी समझा गया। इस काल में सुरक्षा का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से गुप्तचरों द्वारा लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा हेतु पुलिस

Estelar

विभाग की गठन की आवश्यकता को भी समझा गया। जिसके लिए रक्षिन् नामक पदाधिकारी के नेतृत्व में पृथक पुलिस विभाग की स्थापना की गयी।

मौर्य काल के पराभव के उपरान्त गुप्त काल की प्राचीन भारत में स्थापना हुई। इस काल में राजा या सम्राट को देवपुत्र या देवीदूत के रूप में माना गया है। इस काल में राजा अथवा सम्राट की सहायता के लिए आमात्य व मन्त्री की नियुक्ति पर भी बल दिया गया है। आमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी था उसकी योग्यता के आधार पर ही मन्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इस काल में भी केन्द्रिय तथा प्रान्तीय दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। केन्द्रिय स्तर पर अन्य पदाधिकारियों के साथ पुलिस प्रभाग के गठन की आवश्यकता को समझा गया। इस काल में पुलिस विभाग का गठन इस कारण किया गया कि प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा किस प्रकार की जाय। जिसके लिये पुलिस प्रभाग का गठन अनिवार्य हो गया था। जिसका मुख्य अधिकारी दण्डपाशिक के रूप में नियुक्त किया जाय। दण्डपाशिक की आवश्यकता इस कारण भी महत्वपूर्ण हो गयी थी कि आन्तरिक शान्ति किस प्रकार सुनिश्चित हो तथा आपसी विवादों का निस्तारण सुनिश्चित हो सके तथा अपराध भी कम हो सके।

इस काल में जिला व नगर प्रशासन भी अलग प्रकार का था इसमें प्रान्तों को भुक्ति कहा जाता था जो अनेक जिलों के रूप में बटा हुआ था। जिलों को विषयों के रूप में जाना जाता था। विषयों का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन उत्तम आधार पर करने का प्रयास करता था। विषयपति की नियुक्ति सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल उपरिक द्वारा की जाती थी परन्तु विशेष परिस्थिति में सीधे सम्राट द्वारा भी की जाती थी। विषयपति जिले का संचालन अथवा प्रशासन विषय समिति के माध्यम से करता था इस काल में भी ग्राम शासन व्यवस्था का स्वरूप दिखायी दिया है। यह काल न्याय व्यवस्था के आधार पर अन्य कालों से लचिला तथा कोमल था इसमें मृत्यु दण्ड का प्रावधान नहीं था। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"जब हम इस देश में जासूसी तथा अपराधों के लिए कठोर दण्डों की प्राचीन परम्परा का स्मरण करते हैं तो हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि गुप्तों के प्रशासन ने प्राचीन भारतीय दण्ड विधान में मानवीय सुधार के एक नये युग का सूत्रपात किया था।"***[15]

इस प्रकार गुप्त वंश में उत्तम गुप्तचर व्यवस्था थी पर इस युग में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लचिलापन लाया गया व्यवस्थाओं को सरल तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित

Estelar

करते हुए विकसित किया गया। इस युग में राजतन्त्रात्मक व्यवस्था होने के उपरान्त लोक कल्याणकारी विचारधारा का संचय किया गया तथा इसी कल्याणकारी विचारधारा को प्रशासन के माध्यम से प्रवाहित किया गया।

3.5 प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका :–

3.5.1 प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति :–

इस शोध का मुख्य भाग उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप है जो ऐतिहासिक परिकल्पना पर आधारित है। इसलिए उत्तराखण्ड के स्वरूप का अध्ययन प्राचीन काल से ही करना आवश्यक है। उत्तराखण्ड के नदी घाटियों के किनारे पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष दिखायी दिये हैं। यह अवशेष उपकरणों, गुफाचित्रों आदि के रूप में प्राप्त हुए हैं इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"कुछ गुफा चित्र महापाषाण काल से भी प्राचीन हो सकते हैं। जिन गुफा चित्रों को महापाषाणकाल से जोड़ा जा सकता है उनमें मनुष्य को लम्बे लबादे और शिरस्त्राण पहने दिखाया गया है। यथा लाखु–उड़यार तथा पेटशाल में।"***[16]

उत्तराखण्ड में महापाषाणीय संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हुए है इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य गढ़वाल हिमालय में मलारी है। जहाँ पर भिन्न शवाधान पाये गये हैं। शवाधानों में मानव, अश्व एवम् मेढ़ों के कंकालों के साथ, शिर के समीप मृतिका पात्र यथा तश्तरियाँ तथा विभिन्न आकार की टोंटी एवम् हत्थेयुक्त कुतुप प्राप्त हुए हैं। ये कुतुप विभिन्न प्रकार के पाये गये हैं। जिससे यह अवगत होता है कि उत्तराखण्ड में महापाषाणीय संस्कृति तथा सभ्यता के अवशेष हैं। अतः इस भूभाग में महापाषाणकाल में मानवजीवन रहा होगा। इस विषय में कहा है कि ***"शवों को घुटने मोड़कर औंधा लिटाया गया था। निश्चय ही, ये समाधियों किसी पशुचारक जाति की थी।"***[17]

उत्तराखण्ड में नगरीय संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुये हैं। हिमालय के पाद प्रदेश में ही नहीं अपितु अलकनन्दा–गंगा घाटी में भी आद्य ऐतिहासिक नगर थे। इस समय गोविषाण, गंगाद्वार, कनखल, श्रुहन तथा कालकूट नामक महाभारतकालीन नगर इसी राज्य में स्थित है। कालसी से भी प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उत्तराखण्ड में पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होने से यह स्पष्ट है कि यह नगर उस समय किसी सभ्यता का अंश रहा होगा।

Estelar

महाजनपद काल अर्थात् मौर्य काल में साहित्यिक श्रोत्रों के साथ पुरातात्विक स्रोतों के मिलने से मध्य हिमालय का स्वरूप अधिक स्पष्ट रूप से उभरने लगा। इसमें अशोक के कालसी शिला–लेख आदि इनके आधार पर यह राज्य सम्राट अशोक के राज्य का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाग रहा होगा। इस क्षेत्र में शुंगकाल के अवशेष के रूप में भद्रमित्र की दो मृणमुद्रा प्राप्त हुई है। विभिन्न स्तूपों के पाये जाने पर उत्तर मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष भी स्पष्ट रूप से दिखायी देते हैं।

कुणिन्द राज्य का विस्तार हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल कुमायूँ के अतिरिक्त अम्बाला, सहारनपुर तथा बिजनौर जिलों तक का हुआ। अल्मोड़ा का कुणिन्दवंश कुशाण नरेश कनिष्क के आधीन हो गया था। इस प्रकार मौर्य व मौर्योत्तर काल में उत्तराखण्ड का सामन्ती व्यवस्था पर आधारित शासन रहा है। गुप्तकाल में भी उत्तराखण्ड का अपना पृथक इतिहास रहा है। समुद्रगुप्त के समय कर्त्तुपर गुप्त साम्राज्य का एक सीमावर्ती राजतन्त्र राज्य था। इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"नेपाल के पश्चिम में स्थित कर्तुपुर का समीकरण गढ़वाल–कुमाऊँ से किया जाता है। जिसमें रूहेलखण्ड और यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित रहा होगा।"***[18]

उत्तराखण्ड में उत्तर गुप्तकाल के भी समस्त प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 675 ई0 के आसपास मध्य हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर की शक्ति का ह्रास हो गया था सतलज से पश्चिमी नेपाल तक अनेक लघु कबिलाईयों का राज्य हो गया था उसी में एक शक्ति अपना राज्य विस्तार कर रही थी वह राजवंश कार्तिकेयपुर था। यह मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस राजवंश में तीन परिवारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी जो बसन्तनदेव, श्री निम्बर तथा शलोणादित्य के रूप में रहे। उत्तराखण्ड में 1050 से 1300 ई0 तक बहुकुलों का राज्य रहा है इसमें कई वंशजों द्वारा राज किया गया। सामन्त वादी प्रथा से सम्बन्धित विचारधारा का इस समय उत्तराखण्ड पर भी प्रभाव पड़ा।

इस समय पश्चिमी सीमान्त का राणा देवपाल तथा चाँदपुरगढ़ के परमार राजवंश का शासन रहा इस समय दुमग का गढ़पति मंगल सिंह, गणदेश का राजवंश, कत्यूरघाटी का कातिपुर राजवंश, दानपुर के खस ठाकुरों, काली कुमाऊँ के खस राजा, कमादेश का सिंहवंश, चम्पावत का चन्द्र राजवंश आदि के द्वारा राज किया गया लेकिन ये सभी शक्ति में अल्प होने तथा उत्तम प्रशासनिक आधार पर आधारित नहीं रहने के कारण समाप्त हो गये।

Estelar

इस प्रकार प्राचीन काल में उत्तराखण्ड का स्वरूप सम्पूर्ण भारत में राजवंशों के समान ही यह भी सीमान्त प्रदेश के रूप में स्थित रहा। यहाँ पर विभिन्न शासकों द्वारा राज किया गया। इस प्रान्त पर भी प्राचीन भारतीय राजनीति का पूर्ण प्रभाव दिखायी दिया।

3.5.2 प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड की राजनीतिक स्थिति तथा उसमें पुलिस की भूमिका :–

उत्तराखण्ड का स्वरूप पुरापाषाणकाल से ही स्पष्ट होता है। ऋग्वैदिक काल में जिस सप्तसैन्धव एवम् सरस्वती का वर्णन किया गया है। वह प्रदेश हिमवन्त अर्थात् मध्यहिमालय था जो वर्तमान में उत्तराखण्ड का भाग है। इस भाग को "प्रतिष्ठानपुर" भी कहा जाता है जिसके लिये कहा गया है कि ***"प्रतिष्ठानपुर सरस्वती–यमुना काँठों में कही रहा होगा।"***[19]

वैदिक काल के वर्णन से अवगत होता है कि इस भूभाग पर आर्यों का राज रहा होगा। महाभारत काल में इस प्रदेश में कुछ राजनैतिक इकाईयों का अस्तित्व विदित होता है। अर्जुन का ऐरावतकुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से विवाह गंगाद्वार में हुआ। इस भू भाग में कुणिन्द–विषय का उल्लेख समापर्व, आरण्यकपर्व एवम् भीष्मपर्व तीनों में मिलता है। इसका राजा "कुणिन्दाधिपति" सुबाहु कहा गया है। वनबास काल में लौटते समय पाण्डव "कुणिन्द–विषय" में आये थे और एक रात्रि "सुबाहुपुर" में रहे थे। सुबाहुपुर की पहचान गढ़वाल में श्रीनगर के रूप में की जाती है। इस काल में शोणितपुर की स्थिति का भी साक्ष्यांक हुआ है इसलिए तथ्य स्पष्ट हुआ है कि ***"श्रीकृष्ण के समकालीन बाण असुर का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी 'शोणितपुर' की स्थिति अनेक प्रमाणों से गढ़वाल हिमालय में बामसू स्थिर होती है।"*** [20]

इस प्रकार वैदिक कालीन प्रशासन में समाज के व्यवस्था सामान्य तथा सर्वत्र का व्यवहार उत्तम था इसलिए प्रशासन में कठोर व्यवस्थाओं का निर्धारण नहीं था राज कार्य के संचालन हेतु राजा अपने रत्नियों को अधिक बल देता था इस समय नागराज कौरव्य, कुणिन्द सुबाहु तथा असुर बाण जिनका शासन वर्तमान उत्तराखण्ड में भी था जिनके द्वारा समाज में आदर्श मूल्यों की स्थापना की गयी थी। दण्ड का प्रावधान था लेकिन वह अव्यधिक कठोर आधार का नहीं था। इन राज्यों तथा राजाओं द्वारा नैतिक स्वरूप का विकास किया जाता था ग्राम स्तर पर प्रशासन ग्रामणी द्वारा स्थापित किया जाता था

Estelar

ग्रामणी ही ग्राम स्तर पर अपराधों पर नियन्त्रण रखता था जिसका केन्द्रिय स्तर पर समाधान रत्नियों तथा सम्राट द्वारा किया जाता था।

मौर्य काल में हिमालय का यह प्रदेश मौर्य शासक द्वारा विजित था। अशोक ने यौवन में खसों को पराजित किया था इसी क्रम में चन्द्रगुप्त द्वारा हिमालयी राजा पर्वतक से मैत्री–सन्धि की थी। इस कारण यह प्रदेश चन्द्रगुप्त के काल से ही मौर्य साम्राज्य का ही सीमान्त प्रदेश था इन खसों का आतंक तक्षशिला में भी रहा होगा। इस कारण मौर्य काल में इस भूखण्ड जिसे उत्तराखण्ड कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन प्रणाली का स्वरूप दिखायी देता था इस समय राजा अपने राज्य में आमात्य, मन्त्री तथा मन्त्रीगणों को रखता था तथा राजकीय कार्य अठ्ठारह तीर्थों के द्वारा केन्द्रीय स्तर पर चलाता था उसी प्रकार उत्तम गुप्तचर व्यवस्था के आधार पर राज्य में शान्ति स्थापित करने का कार्य किया जाता था जिसे गोपनीय व अप्रत्यक्ष आधार पर संचालित किया जाता था परन्तु प्रत्यक्ष आधार पर भी इस काल में रक्षिन् नामक अधिकारी को नियुक्ति कर पृथक पुलिस प्रभाग की स्थापना की गयी थी रक्षिन् आन्तरिक शान्ति के साथ राज्य में होने वाले अपराधों को नियन्त्रित करता था। इस काल में उत्तराखण्ड के इस भूभाग पर भी अपराधों के लिए कठोर दण्ड व्यवस्था अर्थात् मृत्युदण्ड तक भी दिया जाता था। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य बिखर गया था जिसका प्रभाव इस भूभाग के राजनैतिक स्वरूप पर भी पड़ा। कुणिन्दों का शासन काल भी इस क्षेत्र पर रहा। गुप्त काल से पूर्व इस भाग पर कुषाण वंश का अधिपत्य रहा। हिमालय क्षेत्र में कुणिन्दों का सामन्ती अधिकार रहा। इस क्रम में उल्लेख है कि ***"सम्भवतहः इस राज्य का संस्थापक कोई कुशाण या शक जाति का विदेशी व्यक्ति था। जैसा उसके 'पोण' नाम से सूचित होता है। क्योंकि छठी पीढ़ी तक ये विदेशी पूर्णतः भारतीय बन चुके थे।"***[21]

गुप्तकाल के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के काल में भी उत्तराखण्ड का स्वरूप स्पष्ट था उस समय इस प्रान्त को एक सीमावर्ती राजतन्त्रीय शासक क्षेत्र माना गया था। कौणिन्द वंश गुप्त वंश से केवल करदान– आज्ञाकरण तक सीमित था। इस प्रकार कर्तृपुर राज्य कौणिन्दवंश का था। कौणिन्द इस काल में करदान व आज्ञाकरण के कारण एक ऐसी स्थिति में थे कि वह गुप्त प्रशासन को आदर्श के रूप में मानते थे। गुप्त साम्राज्य में भी जो प्रशासन का आधार प्रचलित था उसको आंशिक रूप से अपनाया गया तथा इस काल में आन्तरिक सुरक्षा के लिए कौणिन्द राजवशं ने किसी अधिकारी को नियुक्त किया जिसके

Estelar

पास गुप्त काल के दण्डपाशिक के समान अधिकार थे जिसका कार्य आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति के साथ अपराधों पर नियन्त्रण करना भी रहा होगा।

कान्यकुब्ज में 647 ई0 में वर्द्धनवंश का अन्त हो गया था। इस समय हिमालय के तीन जनपद स्त्रुध्न, बहमपुर तथा गोविषाण कान्यकुब्ज साम्राज्य से स्वतन्त्र हो गये थे, 675 ई0 में हिमालय का राज्य ब्रहमपुर समाप्त हो चुका था। इसमें प्राचीन कुणिन्दों की एक शाखा उत्तर–पश्चिमी गढ़वाल में निरन्तर अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी। यह राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश था। मध्य हिमालय का यह पहला शक्तिशाली राजवंश था। इस राजवंश में सीमाओं का अत्यधिक विकास हुआ। इस राजवंश के द्वारा शासन की व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी गयी यह राजवंश आन्तरिक व वाह्य सुरक्षा दोनों पर विचार करता था आन्तरिक शान्ति के लिये इस वंश के शासकों द्वारा पृथक रूप से विभाग का गठन किया था। इस सन्दर्भ में अभिलेखों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन स्पष्ट कोई नाम नहीं दिया गया है।

3.5.3 प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव :–

उत्तराखण्ड राज्य का सामाजिक स्वरूप अन्य प्रान्तों के समान का रहा है। इस प्रान्त का सामाजिक स्वरूप देश के अन्य राज्यों की भाँति विभिन्न धर्मावलम्बियों के मध्य सद्भावना, प्रेम व सामंजस्य का स्वरूप है। इस राज्य में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। ऋग्वेद काल में पुरूष प्रधान समाज मुख्य था। परिवार का मूल आधार पितृ सत्तात्मकता पर आधारित था। इस काल के सभी व्यक्ति की समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उत्तराखण्ड में उत्तर वैदिक काल में भी परिवार संयुक्त थे तथा परिवार का बड़ा विवाहित सदस्य ही परिवार का मुखिया माना जाता था इस काल में वर्ण व्यवस्था का विधान था तथा इस काल में वैदिक काल की तुलना स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी थी। इस काल में कहा गया कि स्त्री स्वतन्त्रता योग्य नहीं है। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"स्त्री स्वतन्त्रता योग्य नहीं है। बाल्याकाल में पिता उसकी रक्षा करता है, यौवन में पति रक्षा करता है तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं।"***[22]

इस काल में सम्पूर्ण भारत की सामाजिक स्थिति सामान्यतः सरल आधार की थी। इस काल में शासन व्यवस्था में राजा एक प्रकार से सहायक का कार्य करता था। वह शासन कार्य समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों में से रत्नियों का चयन कर सम्पादित कराता था

Estelar

इस काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामणी थी जो राजा व सम्राट के सीमान्त प्रान्तों पर भी शासन करते थे उस समय उत्तराखण्ड के शासन प्रक्रिया का कोई विशेष स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन महाभारत काल के जिलों में इन ग्रामणी के द्वारा ही शासन का कार्य संचालित किया जाता था जो आन्तरिक सुरक्षा तथा स्थानीय पुलिस का कार्य करते थे। ये आम पुलिस की तरह आन्तरिक सुरक्षा तथा अपराधों को नियन्त्रण में लाने का कार्य करते थे। इनका सम्बन्ध आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति से सम्बन्धित रत्नी के साथ होता था। इस काल में अपराध के लिए अपराधियों को दण्ड देना पुण्य का कार्य या पवित्र कार्य माना जाता था।

प्राचीन काल में उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में ऋग्वैदिक काल में भी प्रत्येक स्तर पर ग्राम व्यवस्था का वर्णन प्राप्त हुआ है उस समय ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के नियमों तथा कानूनों का निर्माण ग्राम सभा द्वारा चयनित व्यक्ति के द्वारा होता था तथा वही स्थानीय पुलिस की भाँति कार्य करता था।

गुप्त काल तक आते–आते वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात पूर्ण रूप से हो गया था। इस स्तर पर वर्ण, जाति के आधार पर परिवर्तित हो गये थे इन वर्गों में मेगस्थनीज द्वारा वर्णित आधार पर दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक व मन्त्री थे। दार्शनिक इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना गया था। इस काल में भी क्षत्रिय अधिकांशतः सैनिक कार्यों में सम्मिलित थे। कृषक, कारीगर तथा व्यापारी सैनिक कार्य से मुक्त थे। पशुपालक व शिकारी मूलरूप से खानाबदोश जीवन का यापन करते थे। मौर्य काल में शुद्रों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। इस काल में राजकीय नियन्त्रण अत्यधिक उत्तम कोटि का था। इस काल में दास प्रथा नहीं थी लेकिन शुद्र का कार्य दासों के समान ही रहता था। समाज में परिवार सामान्यतहः संयुक्त आधार के थे। इस काल में आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा हुई है। विवाह के उपरान्त तलाक या विवाह विच्छेदन का सिद्धान्त भी निहित था। स्त्रियों को दिये गये आभूषण तथा उपहार उनका स्त्रीधन माना जाता था। पति के अत्याचार के विरूद्ध पत्नी न्यायालय में जा सकती थी। इस काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का प्रचलन भी था। इस काल में लोग मितव्ययी तथा उच्च नैतिक आचरण वाले थे। भोजन में अन्न, फल, दूध तथा माँस का सेवन करते थे।

मौर्य काल में शुक्रनीति के राजकर्मचारी को 'पुरूष' कहा जाता था। इनके अनुसार राजकर्मचारी को बहुत लम्बे समय तक एक पद पर ही कार्य नहीं करना चाहिए। मौर्य वंश

Estelar

के शासन का आधार प्रजा पर आधारित था उनका मानना था प्रजा में कोई दुखी नहीं हो प्रजा सदैव सुखी रहे उनके साथ अधिक से अधिक या सम्पूर्ण न्याय हो। उत्तम राजकर्मचारी के स्थान परिवर्तन का वर्णन भी इस काल में है। इस सन्दर्भ में अशोक ने कहा कि ***"यही नियम रखा था कि हर चार पाँच वर्ष पर राजकर्मचारी का स्थानान्तरण तथा तबादला हो जाय। अच्छा काम करने पर उनकी पदोन्नति हो।"***[23]

इस काल में भी नगर व्यवस्था उत्तम प्रशासकिय अधिकारियों द्वारा चलायी जाती थी तथा उनके पास आज के नगर महापालिका से अधिक शक्तियाँ थी जिनकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस विभाग के पास था। प्रान्तों का शासन योग्य राजकुमारों के पास हुआ करता था। प्रान्तों के शासकों की सहायता के लिए प्रादेशिक नाम का अधिकारी होता था। वही प्रादेशिक प्रान्त की आय व्यय के साथ पुलिस का प्रबन्धन करता था। पुलिस का केन्द्रिय अधिकारी रक्षिन् होता था जो 'महादण्डनायक' अधिकारी था जो मन्त्री के अधिन होता था। गुप्तचर विभाग पुलिस से पृथक था। जनरक्षक तथा गुप्तचर पुलिस में वेतनभोगी रहते थे। पुरूष या पुलिस विभाग भी एक अधिकरण था। इस काल में उत्तराखण्ड के हिमालयी राज्य मौर्य वंश के सीमावर्ती राज्य थे। इस समय हिमालय का यह प्रदेश अशोक का विजित प्रदेश था। इस कारण प्रान्तीय प्रशासन के समान नियम इस राज्य में भी लागू होते थे। इस राज्य का प्रमुख एक राजकुमार तथा उसकी सहायता के लिए मुख्य अधिकारी प्रादेशिक ही होता था जो ग्राम व प्रान्त स्तर पर पुलिस की व्यवस्था करने के साथ आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता था।

गुप्त काल में भी वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गयी थी। भारतीय समाज मूल रूप से चार वर्णों–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभक्त हो गया था इस काल में न्याय व्यवस्था में भी वर्णों के अनुसार भेदभाव दिखायी दिया था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ पाया गया है। ब्राह्मण के उपरान्त क्षत्रिय का स्थान था केवल ब्राह्मण व क्षत्रियों को ही वेदाध्ययन का अधिकार तथा उपनयन संस्कार करने की अनुमति थी। वैश्यों का कार्य व्यापार व वाणिज्य था परन्तु उनके द्वारा ब्राह्मण को दान–धन दिया जाता था कुछ वैश्य समाज में अति प्रतिष्ठित थे। गुप्त काल में स्त्रियों का स्थान अति प्रतिष्ठित हो गया था। इसमें विधवा विवाह का समर्थन भी मिलता है। इस काल में वैश्याओं का भी वर्णन प्राप्त हुआ है। इस समय यह व्यवसाय प्रचलित माना जाता है। इस काल में पर्दाप्रथा का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण कर सकती हैं तथा कुछ

Estelar

स्थानों पर कुलीन वर्ग की महिलाओं को मुँह पर घूँघट डालने की चर्चा प्राप्त होती है। इस काल में स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार था इस समय स्त्रीधन का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो गया था। पुत्र के अभाव में पति की सम्पत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होता था। इस काल में उच्च वर्ग का जीवन आमोद पूर्ण था। संगीत, नृत्य, नाटक आदि के माध्यम से लोग आनन्द उठाते थे। युवकों को प्रणयकला की शिक्षा प्रदान की जाती थी इस समय लोगों का जीवन सुख व सम्पन्नता से पूर्ण था लेकिन समाज के निम्न वर्ग को यह सब सुविधायें नहीं थी। यह काल आर्थिक स्तर पर समृद्धि तथा सम्पन्नता से भरा हुआ था।

गुप्त साम्राज्य में केन्द्रिय प्रशासन अत्यधिक सुदृढ़ किया गया था। इस काल में सबसे पहले केन्द्रिय पुलिस की रचना का वर्णन प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग एवम् पुलिस प्रभाग को अपने पास रखा हुआ था। हूणों के आक्रमण से गुप्त काल की केन्द्रिय व्यवस्था भी चरमरा गयी तथा इससे केन्द्रिय पुलिस व्यवस्था भी बिगड़ी लेकिन ग्राम सभा तथा पौर जनपद अपनी सुरक्षा तथा अपनी जनता की समस्त व्यवस्थाओं को करते रहे।

इस काल में ग्रामों को भुक्ति कहा जाता था इन भुक्ति में वर्तमान गवर्नर अथवा 'भोगपति' शासन करता था भुक्ति में अनेक मण्डल अर्थात् 'विषय' जिनका प्रमुख 'विषयपति' होता था ग्रामों को मिलाकर स्थली बनायी जाती थी ग्राम का प्रधान, ग्राम सेवक जो ग्राम पंचायत का भी प्रमुख होता था। यही ग्राम सेवक के पास ग्राम की सुरक्षा, शान्ति बनाने के साथ ग्राम स्तर पर अपराधों का नियन्त्रण करने का कार्य भी था। उस समय पंचायत ही ग्राम पुलिस की तरह कार्य करती थी। नगरों का अध्यक्ष पुरपाल जिसके पास नगर सुरक्षा तथा नगर पुलिस के बराबर के सभी अधिकार सुरक्षित थे।

गुप्त काल के समय हिमालयी क्षेत्र गुप्तकाल का एक सीमावर्ती प्रान्त व राज्य रहा है। इस राज्य या प्रान्त पर भी गुप्त राजवंश की शासन प्रणाली का प्रभाव रहा तथा इसमें भी प्रान्तों के द्वारा ग्राम स्तर पर भी शासन की व्यवस्था की गयी ग्राम स्तर पर ग्रामसेवक का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है परन्तु ग्राम स्तर पर सुरक्षा व शान्ति स्थापित करने के लिए एक निश्चित पदाधिकारी रहा होगा जिसका सीधा सम्बन्ध प्रान्त प्रमुख से रहने के उदाहरण प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के समय प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति का उत्तराखण्ड के हिमालयी राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा उसी प्रकार प्रशासन की व्यवस्था पर भी इन वंशजों का पूर्ण प्रभाव हिमालयी प्रान्तों पर भी पड़ा। ***"समुद्रगुप्त के इस अभिलेख में इस प्रकार कुणिन्द***

Estelar

का ही उल्लेख है, जो कुणिन्द नाम से नहीं प्रत्युत उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर के नाम से किया गया है।[24]

इस समय उत्तराखण्ड में कौणिन्द्र वंश का शासन था। लेकिन कौणिन्दो शासकों पर गुप्त शासकों का पूर्ण प्रभाव पड़ा होगा। हर्षकालीन समाज भी पूर्ण रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था इसमें भी परमपरागत चार वर्णों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मणों का स्थान समाज में प्रतिष्ठित था इस समय अन्तर्जातिय विवाहों का प्रचलन था हर्ष द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन था इस समय केवल कुलीन परिवारों की महिलाओं को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था किन्हीं स्थितियों में पर्दाप्रथा का भाव भी दिखायी दिया गया है। सामान्य स्थिति में लोगों का जीवन सुखी तथा आमोद पूर्ण था। इस समय लोग शाकाहारी तथा माँसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे। इस काल में भेड़, हिरन तथा मछलियों का माँस खाया जाता था गेहूँ व जौ अन्न में अधिक लिया जाता था कुछ लोग मदिरा का भी सेवन करते थे। लोग श्वेत वस्त्र अधिक धारण करते थे स्त्री पुरूष दोनों आभूषणों को धारण करने पर विश्वास करते थे।

इस काल की शासन व्यवस्था सामान्यतहः लचीली आधार की थी। राज्यकर्मचारी, साधारण जनता को परेशान नहीं करते थे इसलिए हर्ष के समय की पुलिस भी जनता से मित्रवत् व्यवहार करती थी। बाद के समय में विदेशी आक्रमण होने लगे तब पुलिस का स्वरूप समाप्त हो गया था। इस समय हिमालयी प्रान्त के रूप में सर्वणगोत्र था यह शासित प्रदेश को 'पर्व्वताकार राज्य' भी कहा जाता था इसका विस्तार गिरि–अवली से कुमाऊँ के अधिकाँश स्थानों तक था। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर के रूप में उल्लेखित होती है। इस प्रकार इस राज्य में भी उस समय ग्रामीण स्तर पर ग्राम पुलिस द्वारा आन्तरिक शासन तथा आन्तरिक अपराधों का नियन्त्रण किया जाता था तथा प्रान्त में शान्ति को स्थापित किया जाता था। ***"पौरव राजाओं की परमशैवता उनकी मुद्रा पर प्रधान रूप से अंकित नन्दी लान्छन से भी प्रकट होती है। विनसर के आसपास ही पौरव राजधानी ब्रह्मपुर थी।***[25]

इस काल में उत्तराखण्ड में छोटी–छोटी शासन प्रणालियाँ तथा जनपदों का विस्तार वाली शासन व्यवस्थायें प्रचलित हो गयी थी। इन राज्यों में गंगा के मध्य सिरमौर, गढ़वाल के राज्य तथा मैदानी भागों वाला भू भाग स्त्रुध्न राज्य तथा पूर्वी गढ़वाल से कुमाऊँ तक

Estelar

फैला ब्रह्मपुर राज्य, भाभर–तराई प्रदेश से रायपुर–पीलीभीत जनपद तक फैला गोविषाण राज्य, बह्मपुर के उत्तर में फैला सुवर्णगोत्र राज्य एवम् देवप्रयाग के आसपास फैला कल्याणवर्मन राज्य था। ये सभी राज्य उत्तराखण्ड में थे इनकी प्रशासन प्रणाली अपने स्तर तक संकुचित थी तथा इन राज्यों की आन्तरिक व्यवस्था का निर्धारण स्वयं शासक अपने स्तर पर करता था जो ग्राम स्तर से थी इनमें ग्राम स्तर पर आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबन्ध भी किया गया था।

3.5.4 प्राचीन भारत व उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता :–

प्राचीन भारत के इतिहास में प्रारम्भ से अब तक अनेक शासकों द्वारा शासन किया इस दौरान कई राजवंशों द्वारा सुदृढ़ व स्थायी शासन व्यवस्था को प्रदान किया। यह शासन पद्वति का उल्लेख वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। यजुर्वेदिक काल में शासन का कार्य सम्पूर्ण रूप से राजा द्वारा अपने रत्नियों के माध्यम से किया जाता था इस काल में राजा पूर्ण रूप से जनता के सेवक के समान ही कार्य करता था। इन रत्नियों में राजा के सम्बन्धी, मन्त्री, विभागाध्यक्ष तथा दरबारीगण सभी आते थे। इस समय आन्तरिक व्यवस्था के लिए पुलिस वर्ग के गठन की भी चर्चा वर्णित हुई है। इस समय भी ग्राम व नगर व्यवस्था का उद्धोष हो गया था इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध भी अवश्य किया गया होगा। इनकी सुरक्षा के लिए आन्तरिक बल का गठन किया गया जो ग्राम व नगरों को आन्तरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता था तथा ग्राम स्तर शान्ति बनाने तथा अपराधों पर भी नियन्त्रण करने का कार्य करता था। इस काल में नगर व गाँव के वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी उसे 'श्रेष्ठिन' नाम से जाना जाता था।

मौर्य काल प्राचीन भारत का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राजवंश है इस काल में राज्य या प्रान्त का मुखिया राजा या सम्राट होता था। वह सर्वशक्तिमान माना जाता है। राजा या सम्राट के सहायक मुख्य रूप से आमात्य, मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् ही होती थी जो सम्पूर्ण शासन को प्रचलित करते थे। इस काल में आमात्यों में से ही मन्त्री का चयन कर मन्त्रीपरिषद् का गठन किया जाता था। इसमें केन्द्रिय प्रशासन का विवरण तथा प्रान्तीय प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन प्राप्त हुआ है। केन्द्रिय स्तर पर अठ्ठारह तीर्थों का वर्णन प्राप्त हुआ है। इसमें मन्त्री व पुरोहित सबसे प्रधानमंत्री के रूप में होते थे ये सभी अठ्ठारह तीर्थ पृथक–पृथक व्यवस्था तथा विभागों के प्रमुख होते थे। इसमें 'प्रदेष्टा' फौजदारी

Estelar

न्यायालय का न्यायाधीश होता है व 'व्यावहारिक' दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इस काल में प्रान्तीय शासन भी सुदृढ़ आधार का था। प्रान्तों को मण्डल, जिला तथा नगर व्यवस्था में बाँटा जाता था। प्रत्येक प्रान्तों को अनेक मण्डलों में विभक्त किया गया था जिसकी समानता आधुनिक कमिश्नरियाँ के बराबर होती थी इस काल में 'प्रदेष्टा' नामक अधिकारी उस मण्डल का प्रधान होता था। इसे अशोक के लेखों में प्रादेशिक कहा गया है। मण्डल का प्रमुख अधिकारी मण्डल के सभी विभागों का मुख्य अधिकारी होता था। मण्डल को अनेक जिलों में बाँटा जाता था जिलों को अनेक स्थानीक में विभाजित किया जाता था। स्थानीक के अन्तर्गत दो खार्वटिक होते थे जिनके अन्तर्गत बीस संग्रहण होते थे। संग्रहक का प्रधान अधिकारी गोप होता था। ग्राम सभा के राजकीय कार्यों का कार्यालय का संचालन "गोप" द्वारा किया जाता था।

मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तम होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी गुप्तचर सेवा अत्यधिक उत्कृष्ट आधार की थी। इस विभाग का अधिकारी एक पृथक आमात्य था जिसे 'महामात्यापसर्प' कहा जाता था। इस काल में पुरूषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियाँ भी गुप्तचरी का कार्य करती थी। मौर्य वंश में प्रान्त स्तर की शासन में मण्डल प्रमुख प्रादेशिक का कार्य प्रशासन व्यवस्था का निर्धारण करना तथा मण्डल में पुलिस व्यवस्था का प्रबन्धन करना होता था। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इस काल में देशाध्यक्ष के पास होती थी जिसका कर्तव्य सभाओं की व्यवस्थाओ को नियन्त्रण रखने का होता था। जनपद के न्याय तथा प्रशासन की व्यवस्था उसके हाथ पर होती थी उसका अपना पुलिस संगठन भी होता था। इस काल में प्रान्तों की प्रशासन व्यवस्था के लिए गुप्तचरों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आधार पर पुलिस विभाग का गठन किया गया था जो आन्तरिक सुरक्षा के साथ शान्ति को भी स्थापित करते थे तथा इनका कार्य अपराधों पर नियन्त्रण करना भी था। इस संस्था या विभाग के स्वामी को मौर्य वंश में रक्षिन् कहा जाता था। अशोक का कथन था कि "मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान ही मुझसे सुख व आराम पाने की आशा करे।" ऐसे में उसने पुलिस संगठन को और भी ठोस बना दिया था। अशोक द्वारा सत्ता का विकेन्द्रिकरण कर प्रान्तों, नगरों तथा ग्रामों को अत्यधिक अधिकार दे दिये थे।

मौर्य वंश के समय हिमालयी सीमावर्ती राज्य अशोक द्वारा विजित तथा अशोक के द्वारा संचालित राज्य थे जो प्रान्त प्रणाली के आधार पर चलते थे। इन प्रान्तों में भी प्रशासन की व्यवस्था मौर्य काल के आधार पर ही थी प्रान्त का मुखिया प्रादेशिक के समान

Estelar

अत्यधिक शक्तिशाली था उसका प्रत्येक विभाग पर अपना सम्पूर्ण हस्तक्षेप रहता था। इस अधिकारी के द्वारा ही राज्य या प्रान्त में पुलिस संगठन का निर्माण कर हिमालयी प्रान्तों की आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा से सम्बन्धित जो विभाग इन प्रान्तों में था उनका मुखिया भी रक्षिन् की तरह कार्य करता था। यह रक्षिन् हिमालयी प्रान्तों की आन्तरिक सुरक्षा के साथ शान्ति का निर्माण भी करता था जो अपराधों पर नियन्त्रण भी स्थापित करने का कार्य करता था। इस प्रकार उत्तराखण्ड में भी मौर्य काल के दौरान स्थापित राज्यों की पुलिस व्यवस्था सर्वोत्तम रही होगी अप्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों में गुप्तचर सेवा भी संचालित थी।

गुप्तवंश की शासन प्रणाली प्राचीन इतिहास की सर्वोत्तम शासन प्रणालियों में से एक है। समुद्रगुप्त अत्यन्त नीति निपुण शासक था केन्द्रिय शासन उसके पूर्ण नियन्त्रण में था गुप्त वंश के केन्द्रिय प्रशासन में प्रतिहार तथा महाप्रतिहार राजमहल के रक्षक रूप में थे तथा इस काल में महासेनापति, सेना का प्रमुख अधिकारी एवम् महासंधिविग्रहिक यह युद्ध व शान्ति के समय का अधिकारी था। इस काल में विनयस्थितिस्थापक धर्म सम्बन्धी मामलों का प्रधान अधिकारी था। इस काल में उच्च विशिष्ट जनों के समूह को कुमारामात्य कहा गया है। गुप्त शासन एक ऐसा शासन था जहाँ सर्वप्रथम केन्द्रिय प्रशासन स्तर पर पुलिस विभाग का गठन किया गया जिसका अधिकारी दण्डपाशिक था जो आज के पुलिस अधीक्षक के बराबर की क्षमता रखता था।

गुप्त काल में प्रान्तीय शासन व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया गया था। इसमें प्रान्त के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। इस काल में प्रान्तों को भुक्ति कहा जाता था इन भुक्ति को जिलों तथा विषय में विभाजित किया जाता था। इन विषयों का आधीन पदाधिकारी विषयपति कहलाता था। विषयपति को कुमारामात्य भी कहा जाता था इस विषयपति की नियुक्ति प्रान्त का उपरिक अथवा स्वयं सम्राट भी करता था। विषयपति का दायित्व सीधे उपरिक के लिए होता था। इस काल में ग्राम सबसे छोटी शासन की इकाई होती थी। ग्राम सभा के कर्मचारी मूलरूप से महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक तथा कुटुम्बिल के नाम से जाने जाते थे।

गुप्त वंश में जहाँ पर भोगपति शासन करते थे भुक्ति के अन्तर्गत विषय जो वर्तमान कमिश्नरी के बराबर ही होते थे तथा इस काल में अनेक ग्रामों को मिलाकर एक स्थली (परगना) बनाया जाता था। ग्राम सेवक ग्राम का मुखिया होता था। यह ग्राम पंचायत का

Estelar

प्रधानपति भी होता था। ग्राम पंचायत के सदस्य को महत्तर कहा जाता था इस समिति जिसके जिम्मे ग्राम की सुरक्षा निर्धारित होती थी। यह ग्राम स्तर पर अपराधों पर नियंत्रण करता था। इस समय पंचायत ही ग्राम की पुलिस की तरह से कार्य करती थी। नगर में नगर सभा होती थी जिसका अध्यक्ष प्रांगिक व पुरपाल होता था यह एक वैतनिक पद था इसे वर्तमान जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट के बराबर के अधिकार प्राप्त थे।

गुप्त काल के समय हिमालयी राज्य एक सीमावर्ती मित्र राज्य के रूप में था इस समय इन राज्यों में भी गुप्तवंश का प्रभाव दिखायी दे रहा था यहाँ की शासन व्यवस्था की इकाई भी ग्रामसभा थी ग्राम सभा में ग्राम प्रमुख स्थानीय पुलिस की तरह कार्य कर आन्तरिक सुरक्षा को निर्धारित करता था। इस काल में यह ग्राम प्रतिनिधि ग्राम स्तर पर अपराधों को नियन्त्रित करने का कार्य करता था। राज्य की आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया था। उसका प्रमुख महादण्डनायक या दण्डपाशिक नामक अधिकारी ही होता था। इसके अतिरिक्त दाण्डिक, चाट व भाट आदि छोटे कर्मचारी भी हिमालयी सीमावर्ती राज्यों में पुलिस कर्मचारी के समान ही कार्य करते थे। इस काल में हिमालयी या उत्तराखण्ड के राज्यों में उत्तम गुप्तचर व्यवस्था भी थी। जिनका सम्बन्ध सीधे शासक से ही होता था। इस काल में चोर व डाकुओं को पकड़ने के लिये चोरोद्धरणिक नामक अधिकारी होता था जो आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति का निर्धारण करता था। हर्ष के काल से राज्य की प्रशासन व्यवस्था लोकल्याणकारी हो गयी थी। इस काल में जनता का कार्य सरलता से व सेवा सहजता पूर्वक होती थी।

इस काल में हिमालयी राज्य छोटे–छोटे जिलों तथा भूखण्डों में बटा हुआ था लेकिन इन सब पर महावंशों की प्रशासन व्यवस्था का पूर्ण प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल के इतिहास में मौर्य व गुप्त काल ही प्राचीन भारत के इतिहास के महाकाल हैं इनका प्रभाव सम्पूर्ण व्यवस्थाओं, राजकुलों, राजवंशों एवम् प्रान्तिय व्यवस्थाओं में पड़ा।

Estelar

सन्दर्भ सूची

1. **शर्मा राजेन्द्रः** "भारतीय दर्शन" (कथन– जॉन डी0वी0), पृष्ठ–75।

2. **ऋग्वेदः** (दशम्) 34.12।

3. **जायसवाल के0पी0:**"प्राचीन भारत की शासन पद्धति", पृष्ठ–116।

4. **अल्तेकरः**"प्राचीन भारत की शासन पद्धति", पृष्ठ–117।

5. **झा द्विजेन्द्र नारायण :एवं** "प्राचीन भारत का इतिहास", पृष्ठ–177।
श्रीमाली कृष्ण मोहनः

6. **श्रीवास्तव कृष्ण चन्द्रः एवं** "प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति",
श्रीवास्तव एम0: पृष्ठ–269।

7. **श्रीवास्तव ओ0पी0:** "ए रेयर सीलिंग फ्रॉम इलाहाबाद थ्रोइंग, न्यू लाइट ऑन ऑफिस ऑफ कुमारामात्य", गंगानाथ झा केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ खण्ड 35, जनवरी–जून 1979 भाग 1–2।

8. **श्रीवास्तव कृष्ण चन्द्रः**"प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति",
श्रीवास्तव एवं एम0: पृष्ठ–744।

9. **पॉलिटिकल आयडियाज** पृष्ठ 79–80।
एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स
इन ऐन्शेन्ट इण्डिया

10. **कौटिल्य अर्थशास्त्र** :दसवाँ अध्याय।

11. **कौटिल्य अर्थशास्त्र–** पृष्ठ– 1–7।

12. **वही दर्शन** पृष्ठ– 1–2।

13. **प्रयाग प्रशस्ति**

14. **कौटिल्य अर्थशास्त्र** 2.9।

15. **क्लासिकल एज** पृष्ठ– 352।

16. **मठपाल यशोधरः** "पहाड" 5–6, 1992 पृष्ठ– 184।

Estelar

17. **डबराल शिव प्रसादः** "उत्तराखण्ड का इतिहास" खण्ड–1 वि0स0– 2022, पृष्ठ– 96–97।

18. **स्मिथ वि0** "अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया", चतुर्थ संस्करण–1924, पृष्ठ– 302।

19. **विद्यालंकार जयचन्द्रः** "भारतीय इतिहास का उन्मूलन", पंचम संस्करण– 1956–57 पृष्ठ–60–61।

20. **कठोच यशवन्त सिंहः** "मध्य हिमालय" खण्ड–1, पृष्ठ–29।

21. **वेदालंकार हरीदत्तः** "प्राचीन भारत का राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास", हिन्दी समिति लखनऊ–1972 पृष्ठ–189।

22. **वशिष्ठ सूत्र** 1–2।

23. **शुक्रनीति** 2/107–113।

24. **शरण म0कु0** "ट्राइबल कॉइन्स", नई दिल्ली–1972 पृष्ठ–273।

25. **कठोच यशवन्त सिंहः** "मध्य हिमालय" खण्ड–1, संस्करण–1999, पृष्ठ–27 से 29।

Estelar